(73)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1508

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर खण्डपीठ भोपाल म.प्र.

पुनरीक्षण कमांक — /2018

1. धनसिंह आ. स्व.श्री हमीरसिंह राजपूत
   आयु लगभग 60 वर्ष जाति राजपूत,
   निवासी ग्राम ललरिया तहसील बैरसिया
   जिला भोपाल म.प्र.
2. श्रीमती विमलाबाई पुत्री हमीरसिंह पत्नी
   बादामसिंह आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम
   दामखेडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल ..... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती श्यामबाई पत्नी स्व.आधारसिंह
   आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम ललरिया
   तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.
   हाल मुकाम मकान नम्बर 93 शिवनगर
   कालोनी करोद भोपाल म.प्र.
2. श्रीमती सविताबाई पत्नी मलखानसिंह आयु
   लगभग 30 वर्ष निवासी मकान नम्बर 93
   शिवनगर कालोनी करोद भोपाल म.प्र.
3. राजेश आयु वयस्क ,
4. रवि आयु वयस्क,
   दोनो पुत्रगण स्वर्गीय अजबसिंह
   निवासी ग्राम कान्हासैया तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म.प्र.
5. श्रीमती रजनी पुत्री अजबसिंह पत्नी
   विजेन्द्रसिंह आयु वयस्क निवासी ग्राम
   खण्डेल जिला इन्दौर
6. रीना पुत्री अजबसिंह पत्नी महाराजसिंह
   निवासी ग्राम ककरूआ तहसील व जिला
   रायसेन ..... उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमान जी,

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय वृत–2 तहसील बैरसिया पीठासीन अधिकारी श्री संतोष मृदगल के समक्ष लंबित राजस्व प्रकरण कमांक 01/अ–27/17–18 श्रीमती श्यामबाई आदि विरूद्ध धनसिंह आदि में पारित आदेश दिनॉक 18/1/2018 से दुखी व व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका सत्य व ठोस आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1508

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10-1-18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से कार्यवाही स्थगित करने सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । तहसील न्यायालय ने आवेदक पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनकी आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	